

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,**

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक) बिहार  
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

पटना/दिनांक:-

**विषय:-** विभागान्तर्गत सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राजकीय अभियंत्रण संस्थानों द्वारा नामित शिक्षकों को कैंम्ब्रीज एसेसमेंट इंगलिश द्वारा इंगलिश लैंग्वेज एवं पेडगॉगी इन्हैन्समेंट हेतु प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणन व्यय हेतु कुल रु. 5,37,450=00 (पांच लाख सैंतीस हजार चार सौ पचास रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।

**आदेश:-** स्वीकृत।

राज्य सरकार ने विभागान्तर्गत सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों एवं राजकीय अभियंत्रण संस्थानों द्वारा नामित नियमित शिक्षकों को कैंम्ब्रीज एसेसमेंट इंगलिश द्वारा इंगलिश लैंग्वेज एवं पेडगॉगी इन्हैन्समेंट हेतु प्रशिक्षण, मूल्यांकन एवं प्रमाणन व्यय हेतु कुल रु. 5,37,450=00 (पांच लाख सैंतीस हजार चार सौ पचास रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त राशि प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 2203 -तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष -00, लघुशीर्ष-112-इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0105-कौशल विकास मिशन" के अधीन 20 03 प्रशिक्षण व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001120105 है।

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना, बिहार होंगे।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी

5. उक्त स्वीकृत राशि से निम्न अवयवों का भुगतान कार्य समाप्ति के उपरान्त प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना के सत्यापनोपरान्त कैंम्ब्रिज एसेसमेंट इंगलिश के अधिकृत केन्द्र L.N. Mishra College of Business Management, Muzaffarpur को किया जाएगा-

(i) विभागान्तर्गत लगभग सौ (100) नियमित शिक्षकों (अंग्रेजी एवं अन्य विषयों के इच्छुक शिक्षकों) के इंग्लिश लैंग्वेज का standard/ability एक diagnostic test से चिन्हित की जाएगी, जो Common European Framework of Reference(CEFR) For Loanguage के विभिन्न Level or standard पर परिभाषित है। यह diagnostic test 515/- रूपये (पांच सौ पन्द्रह रूपये) मात्र प्रति शिक्षक की दर से देय होगा।

(ii) जिन तीस (30) नियमित शिक्षकों का CEFR level B1 से नीचे होगा, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें course material उपलब्ध कराया जाएगा एवं उनका Certification कराया जाएगा। इस हेतु रु. 2,25,000.00=00 (दो लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र का भुगतान किया जाएगा।

(iii) जिन तीस (30) नियमित शिक्षकों का CEFR level B1 या उससे ऊपर होगा उन्हें Pedagogy enhancement की online training एवं 4 दिनों का Face to Face residential training भी दी जाएगी एवं उनका Certification कराया जाएगा। इस हेतु रु. 2,04,950.00=00 (दो लाख चार हजार नौ सौ पचास रूपये) मात्र का भुगतान किया जायेगा।

6. प्रोग्राम समाप्ति के उपरान्त कैंब्रिज एसेसमेन्ट इंग्लिश द्वारा प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना के माध्यम से विभाग को Monitoring एवं Evaluation की पूरी Report उपलब्ध करायी जाएगी।
7. उक्त प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों को नियमानुसार यात्र भत्ता देय होगा।
8. उक्त स्वीकृत राशि में प्रशिक्षण अवधि में शिक्षकों एवं सहयोगी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए रू. 200=00 (दो सौ रूपये) मात्र की दर से रेफ्रेशमेन्ट पर होने वाल व्यय सन्निहित है।
9. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।
10. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3758 वि., दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।
11. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / -

(मिर्जा आरिफ रजा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -वि०प्रा०(II)प्रशिक्षण-01 / 17(पार्ट-2)

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -वि०प्रा०(II)प्रशिक्षण-01 / 17(पार्ट-2)

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक -वि०प्रा०(II)प्रशिक्षण-01 / 17(पार्ट-2)

3558 /पटना, दिनांक- 31.12.018

प्रतिलिपि:-प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

28/12/18

28/12/18